तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज
19/5/17 [illegible]	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 [illegible] के पेश हुई। वादीया उपस्थित है। तहसीलदार जालोर से बंटवारा स्कीम तलब की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया की मुताबिक बंटवारा स्कीम खाता फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः खाता वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम खाता फाईनल डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। [signature]

प्रपत्र – 5

राजस्व लोक अदालत अभियान–2017

मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अधिकारी:– श्री राजपाल यादव RAS उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

पुत्र पर अंकित है उनवान

बनाम

बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

नम्बर :– 33/15

दिनांक :– 19/5/17

वादी की ओर से मानी देवी की व प्रतिवादी की ओर से – की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19/5/17 राजपाल यादव (नाम पीठासीन अधिकारी) RAS उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि – दावा वादीया बरूये बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर अराजीयात ग्राम मय्यूना का बंटवारा निम्नप्रकार किया जाता है।

वादीया मानी देवी पत्नि उम्मेदी लाल जाति मीना के हिस्से में ख.नं. 1579 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा रहेगा।

रामधुन, रामजीत पि० मोरध्या, कमलेश, मुकेश, धर्मसिंह पि० रामचंद्र जाति ... के हिस्से में ख.नं. 1579/1 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, ख.नं. 1579/2 रकबा 05 ... कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा रहेगा। बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न है व डिक्री का जुज रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

तारीख 19/5/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला–करौली (राज०)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी पत्र के लिए स्टाम्प साक्ष्य के लिए स्टाम्प रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	\	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner

उनवान

राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

1. मानी देवी पत्नि उम्मेदी लाल जाति मीना निवासी मं
तहसील सपोटरा जिला करौली (राज०)

— वादीया

बनाम

1. रामधन] पि० औतरया जाति मीना निवासी मंड
2. रामजीत] तह० सपोटरा जिला करौली (राज०)
3. कमलेश]
4. मुकेश] पि० रामचन्द्र
5. धरमू]
6. लोहडी बेवा रामचंद्र
7. लैण्डहोल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली (रा

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा एवम् स्थायी निषे

पीठासीन अधिकारी (SD
राजस्व लोक अदालत "न्याय आ
सपोटरा, जिला-करौली (रा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	दावा	ता0दायरा	ता0फाईनल निर्णय
33/14		10.06.2014	19.05.17

1. ज्ञानी देवी पत्नि उम्मेदीलाल जाति मीना निवासी भड़ंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. रामधन । पिसरान भौरया जातियान मीना निवासी भड़ंगपुरा
2. रामजीत । तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. कमलेश।
4. मुकेश । पिसरान रामचन्द्र
5. धरमू ।
6. लोहड़ी बेवा रामचन्द्र
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटबारा एवम स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 मे पेश हुई। वादिया उपस्थित है। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भरतून तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.02.2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एल आर 2017/22 दिनांक 19.05.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वादी भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादिया फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादिया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादीया ज्ञानी देवी पत्नी उम्मेदी लाल जाति मीना के हिस्से में ख0नं0 1579 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा रहेगा।
2. रामधन रामजीत पि0 भौरया, कमलेश, मुकेश, धर्मसिंह पि0 रामचंद जाति मीना के हिस्से मे खसरा नं0 1579/1 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, ख0नं0 1579/2 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 2 का कुल रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख प्राथमिक निर्णय
33/14	दावा	10.06.14	08.02.17

ज्ञानी देवी पत्नि उम्मेदीलाल जाति मीना निवासी भड़ंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. रामधन । पिसरान भौरया जातियान मीना निवासी भड़ंगपुरा
2. रामजीत । तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. कमलेश।
4. मुकेश । पिसरान रामचन्द्र
5. धरमू ।
6. लोहड़ी बेवा रामचन्द्र
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः- श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील वादीया।
श्री विष्णु शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि "वादीया ने एक वाद इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1579 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा ग्राम भरतून तहसील सपोटरा मे स्थित वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 6 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है जिसमे वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा है। हम फरीकेन का आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है। वादीया ने बाहमी बंटवारा मे आई जमीन को जिस्मानी मेहनत से उन्नत कर काश्त लायक बनाई है। खातेदारी सामलाती आराजी राजस्व रिकार्ड मे अलग-अलग नही हो रहे है जिससे प्रतिवादीगण के दिल मे बदनियति है। इसलिए प्रतिवादीगण कानूनी बंटवारा कराकर हिस्सा अलग कराने की मना करने लग गये। दिनांक 28.05.2014 को प्रतिवादीगण से बंटवारा कर खाता अलग अलग कराने की कहा तो साफ इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि तुम्हे जमीन को काश्त नही करने देगे और ताकत के बल पर बेदखल करके रहेगें। इसलिए वादीया ने वाद पत्र पेश कर विवादित आराजी का बंटवारा कराकर अपने हिस्से को सेपरेट करने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।"

दावा वादीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नही किया इसलिए तनकीयात कायम नही की जा सकी। साक्ष्य में वादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने जमाबंदी नकल ग्राम भरतून सम्बत् 2067-70 पेश की है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश जमाबंदी नकल ग्राम भरतून सम्बत्

Scanned by CamScanner

2067-70 से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1,2,3 ता 5 के पिता तथा 6 के पति की शामलाती खातेदारी की है जिसमे वादीया का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं0 1,2,3 ता 5 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 6 के पति का हिस्सा 1/2 स्पष्ट है और उसी अनुसार वादीया को अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड मे पृथक से बंटवारा कराकर खाता व लगान पृथक से कराने के हकूक प्राप्त है।

अतः दावा वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भरतून तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 1579 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी एवं प्रतिवादीगणों के हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार सपोटरा को 300/- फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहरीर जारी हो कि कमीश्नर फीस वादीया से प्राप्त कर उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा बाई मीट्स एण्ड वाण्ड्स किया जाकर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 3 प्रति सहित दिनांक 03.05.2017 को या इससे पूर्व भिजवावे। पत्रावली दिनांक 03.05.2017 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner